एटीएम में मदद के नाम पर कार्ड बदलने वाला गिरफ्तार

21 बैंकों के 103 कार्ड बरामद

हरिभूमि न्यूज ⏭नई दिल्ली

उत्तरी जिला स्पेशल स्टाफ ने एटीएम मशीन में लोगों की मदद के बहाने से उनका कार्ड बदलकर रुपये निकालने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम फिरोज उर्फ मोनू बताया गया है। इसके पास से 21 बैंकों के 103 डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं। ठगी के सात मामलों में अभी इसकी संलिप्तता की पुष्टि पुलिस द्वारा की गई है।

डीसीपी सागर सिंह कलसी ने बताया एटीएम बूथ में धोखे से डेबिट कार्ड बदल कैश निकालने के कई मामले सामने आ चुके थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष रुप से पुलिस की एक टीम को इस गैंग के ऊपर नजर रखने का कार्य सौंपा गया था। हाल ही में वजीराबाद से बुराडी रोड पर लगाए गए ट्रैप के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा। इसका नाम लोनी गाजियाबाद निवासी फिरोज पता चला। तलाशी में इसके पास से 103 डेबिट कार्ड मिले। पूछताछ के दौरान पता चला कि वह सात केस में अरेस्ट भी हो चुका है। पुलिस ने इसके पास से बरामद किए गए डेबिट कार्ड से जुड़ी बैंक डिटेल हासिल की तो पता चला कि इस गैंग का शिकार 70 लोग बन चुके थे। गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ से लेकर मुरादाबाद में पुलिस को इसके खिलाफ सात केस दर्ज मिले। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसके गैंग में आबिद, शाहरुख, दानिश और सादिक है। वे मेरठ व गाजियाबाद में ज्यादा एक्टिव थे। 2019 में इन्हें मुरादनगर थाना पुलिस ने अरेस्ट किया था। बाहर निकलने के बाद फिरोज ने अपने गैंग में नए लड़कों को भर्ती किया। वर्तमान में वह आबिद, आमिर, आसिफ के साथ मिलकर गैंग चला रहा था। इनका गैंग ट्रांस यमुना एरिया, वजीराबाद, बुराडी, आनंद पर्वत, आजादपुर मंडी आदि जगहों पर एक्टिव था। आरोपी लोगों की मदद के बहाने एटीएम में पिन देख डेबिट कार्ड बदल देते थे। बाद में उसी डेबिट कार्ड से दूसरे एटीएम में जाकर जल्द से जल्द रुपए निकाल लेते। इससे पहले वे एटीएम मशीन में छेड़छाड़ कर देते थे, जिस कारण रुपए नहीं निकल पाते थे।

डॉलर के नाम पर ठगी करने वाला रैकेट पकड़ा, तीन दबोचे

नई दिल्ली। द्वारका जिले की एंटी बर्गलरी सेल ने डॉलर के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के तीन लोगों को पकड़ा है। इनके पास से डॉलर के दो नकली बंडल, 24 हजार रुपए कैश, छह मोबाइल फोन और दो बाइक बरामद हुई हैं। साथ ही इस गिरफ्तारी से चीटिंग और चोरी के तीन केस सुलझाने का दावा पुलिस ने किया है। पुलिस के अनुसार 20 अप्रैल को डाबड़ी थाने में ठगी के मामले को लेकर शिकायत दी गई थी। पीड़ित ने बताया था कि उसे राजू नाम के एक शख्स ने 20 लाख कीमत के डॉलर चार लाख रुपए में देने का झांसा दिया। वह लालच में आकर उसके जाल में फंस गया और उसे चार लाख रुपए दे दिए। लेकिन उसे जो डॉलर का बंडल दिया गया था उसके ऊपर और नीचे ही असली डॉलर था बाकि बीच में सब कागज की रद्दी थी। पुलिस ने जांच के दौरान आसपास के एरिया में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में पांच से छह लोग संदिग्ध नजर आए। पुलिस ने उनकी बाइक के रुट को फॉलो किया। टैक्नीकल सर्विलांस के जरिए पुलिस ने आरोपियों के बारे में जानकारी जुटायी और फिर इन्हें इंद्रलोक एरिया में मेट्रो स्टेशन के नजदीक से दबोच लिया। इनके नाम जहांगीरपुरी निवासी जाकिर शेख (32) व शामल (50) के तौर पर हुई। इनके पास से फर्जी डॉलर का एक बंडल बरामद हुआ है। इनकी निशानदेही पर तीसरे आरोपी विश्वास नगर शाहदरा निवासी अरुण कुमार को भी दबोच लिया गया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह अपने सहयोगी राणा, इब्राहिम और एक अन्य के साथ मिलकर नकली डॉलर के बहाने लोगों को ठगते थे।

बच्ची के अपहरण, रेप और हत्या के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 2015 में छह साल की बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि दोषी ने नृशंसतापूर्वक बलात्कार और हत्या की है। यह कृत्य इतना वीभत्स और अमानवीय था कि दोषी अदालत से किसी भी तरह की दया या सहानुभूति के लायक नहीं है। रविंदर नामक व्यक्ति को छह मई को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराधों और भारतीय दंड संहिता की धारा 376ए और 302 के तहत दोषी करार दिया गया। सहायक सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने कहा कि अपराध दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आता है...लेकिन दोषी का कृत्य इतना वीभत्स और अमानवीय था कि वह अदालत से किसी भी तरह की दया या सहानुभूति के लायक नहीं है। न्यायाधीश ने कहा कि यह अपराध किसी 'शिकारी की हरकत' से कम नहीं है और इसने समाज की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। न्यायाधीश ने कहा कि बच्ची से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह दोषी को उसका यौन उत्पीड़न करने और उसे मारने के लिए उकसाएगी। दोषी ने नृशंसतापूर्वक बलात्कार और हत्या की। न्यायाधीश ने सबूतों को ध्यान में रखते हुए कहा कि अपराध स्थल पर संघर्ष के बहुत सारे संकेत थे, जिससे पता चलता है कि पीड़ित ने रविंदर का विरोध किया था, लेकिन दोषी एक राक्षस की तरह बन गया था।

सब इंस्पेक्टर पर 1.4 किलो सोना बतौर रिश्वत लेने का आरोप

हरिभूमि न्यूज ⏭नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मनीष राठी पर 1.4 किलो सोना बतौर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। आरोपों के मद्देनजर विजिलेंस थाने में 12 मई को एसआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि एसआई ने रेप केस में जेल में बंद उनके एक दोस्त को बाहर निकलवाने के लिये 60 लाख रुपये की डिमांड की थी। लेकिन इतने कैश का इंतजाम नहीं हुआ तो सोना लिया गया था। विजिलेंस थाने में दर्ज एफआईआर नंबर दो लाजपत नगर पार्ट 3 में रहने वाले शख्स की शिकायत पर दर्ज की गई। जिस समय सोना दिया गया था तब एसआई ग्रेटर कैलाश थाने में तैनात था। शिकायतकर्ता के दोस्त पर 2020 में एक इवेंट मैनेजर ने होटल में रेप का मुकदमा दर्ज करवाया था। दोस्त जेल चला गया था। आरोप है कि एसआई ने फरवरी 2021 में दावा किया कि उसे पता चला है कि केस दर्ज करवाने वाली लड़की ने उनके दोस्त को झूठे केस में फंसाया है। उसके पास पुख्ता सबूत के तौर पर लड़की की कॉल रिकॉर्डिंग व अन्य सामग्री है। इसी सबूत को देने के एवज में एसआई ने 60 लाख रुपये की मांग की थी। लेकिन एसआई ने सोना लेने के बाद भी शिकायतकर्ता व उनके दोस्त को कोई सबूत नहीं दिया। सोना वापस करने की बात आई तो वह हर बार बहाने बनाने लगा। बाद में उसने धमकी देनी शुरू कर दी। वह कई बार स्थानीय एसएचओ से भी एसआई की शिकायत लेकर मिले। लेकिन उनकी तरफ से भी कोई कार्रवाई एसआई के खिलाफ नहीं की गई। बाद में उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल सीपी को भी शिकायत दी। लेकिन उस पर भी कोई जांच शुरू नहीं हुई। अब उन्होंने पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत की तो केस दर्ज किया गया। वहीं पिछले साल कोर्ट ने उनके दोस्त को इस केस में बरी भी कर दिया था। वहीं सूत्रों से पता चला है कि एसआई अभी भी साउथ जिले के ही दूसरे थाने में तैनात है। इस बारे में जिला डीसीपी चंदन चौधरी से पहले की शिकायतों पर कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो कोई जवाब नहीं मिला।

■ विजिलेंस थाने में केस दर्ज\

हादसे में आरोपी कंटेनर चालक समेत चार घायल

वेलकम: बेकाबू कंटेनर ने पांच लोगों को कुचला, दो की मौत

हरिभूमि न्यूज ⏭नई दिल्ली

वेलकम इलाके में बुधवार देर रात एक बेकाबू कंटेनर टैंपो ने सड़क किनारे खड़े ईंटों से भरे ट्रक का टायर बदल रहे पांच लोगों को कुचल दिया। इनमें दो लोगों की मौत हो गई। लापरवाही से ट्रक चलाने वाले ड्राइवर समेत चार लोग घायल हैं।

मृतकों के नाम रवि उर्फ रोहित और सतीश कुमार बताये गये हैं। दोनों लोनी इलाके के रहने वाले हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल में भिजवाया गया है। पुलिस के अनुसार सड़क हादसे की यह घटना देर रात करीब साढ़े 12 बजे वेलकम मेट्रो स्टेशन के नजदीक फ्लाईओवर पर हुई।

ईंटों से भरा ट्रक जा रहा था करोलबाग

लोनी गाजियाबाद निवासी दोज नामक शख्स ने बताया कि वह यूपी नंबर के ट्रक बतौर मजदूर काम करता है। नौरंग इस ट्रक का ड्राइवर है। वहीं सुनील, रवि और सतीश हेल्पर थे। ईंटों से भरा ट्रक करोलबाग जा रहा था। जब ट्रक वेलकम फ्लाईओवर पर था तभी उसका अगला टायर फट गया। दोज हेल्परों की मदद से पीछे लगी स्टेपनी के बोल्ट को खोलने लगा। उसी समय दिल्ली नंबर के एक कंटेनर टैंपो ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। मौजूद पांच लोग हादसे की चपेट में आ गए। लापरवाही से ट्रक चलाने वाला कंटेनर का ड्राइवर महेश भी घायल हुआ है। अस्पताल ले जाने पर दो को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जबकि दोज, नौरंग, सुनील और महेश का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने घटना की बाबत लापरवाही से वाहन चलाने से हुई मौत का मुकदमा दर्ज कर लिया है। ड्राइवर की हालत में सुधार होने के बाद उसे गिरफ्तार किया जाएगा।

IN THE COURT OF SH UMED SINGH GREWAL DISTRICT JUDGE COMMERCIAL-05, CENTRAL, ROOM NO. 22, TIS HAZARI COURTS, DELHI
PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFENDANT (Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)
Case No. CS (COMM.)-1761/2022
N.D.O.H.- 17.07.2023
ICICI BANK LTD. ...PLAINTIFF
VS.
ANSHU PRASAD ...DEFENDANT
To,
ANSHU PRASAD
S/O SHRI LALITANANAD PRASAD, H.NO.-357/90, STREET NO. 16 B, NEAR VASHISHT PROPERTY, ASHOK VIHAR PHASE-II, GURUGRAM, HARYANA-122001.
MOB.-8826071789,
EMAIL ID-ANSHURR10@gmail.com
The defendant above named, WHEREAS you are intentionally evading service of summons, it is hereby notified that in case you do not defend the case which is fixed on the 17.07.2023 at 10:00 A.M., it will be heard in your absence and determined ex-party as per law.
Given under my hand and the seal of the court, on 16-05-2023.
District Judge
Commercial Court- 05 (Central)
Tis Hazari Courts, Delhi

मंडोली जेल से स्थानांतरित करने का अनुरोध

ठग सुकेश की याचिका रद्द

एजेंसी ⏭नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी द्वारा सुरक्षा चिंताओं को लेकर मंडोली जेल से उन्हें दिल्ली से बाहर किसी जेल में स्थानांतरित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने के अनुरोध संबंधी याचिका खारिज कर दी है।

न्यायालय ने कहा कि याचिका निराधार थी और याचिकाकर्ताओं की इस बात को मानने का कोई औचित्य नहीं है। चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना पॉलोज ने यह दावा करते हुए खुद को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की मंडोली जेल से स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था कि वहां उनके जीवन को खतरा है। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। न्यायालय ने कहा कि चंद्रशेखर को अन्य कैदियों से अलग करने के लिए सीसीटीवी निगरानी के साथ एक अलग सेल में रखा गया है। पीठ ने कहा कि पक्षकारों के वकील को सुनने के बाद और अधीक्षक, मंडोली जेल द्वारा दायर हलफनामे को ध्यान में रखते हुए हमें याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं दिखता है। पीठ ने कहा कि रिट याचिका आधारहीन है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है। वर्तमान आदेश के मद्देनजर, याचिकाकर्ता संख्या 2 -लीना पॉलोज के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट चंद्रशेखर और उसकी पत्नी की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें दोनों ने उन्हें अन्यत्र स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था।

अपनी जान का खतरा होने का किया था दावा

चंद्रशेखर को पहले तिहाड़ जेल से मंडोली जेल स्थानांतरित कर दिया गया था, जब उसने अपनी जान का खतरा होने का दावा करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। चंद्रशेखर और उसकी पत्नी कथित धनशोधन और कई लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप में जेल में बंद हैं।

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मंडोली जेल लाया गया

नई दिल्ली। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को बृहस्पतिवार सुबह गुजरात की एक जेल से दिल्ली की मंडोली जेल में लाया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बिश्नोई को सुरक्षा कारणों से मंडोली जेल लाया गया है। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की दो मई को उच्च सुरक्षा वाली तिहाड़ जेल में गोगी गिरोह के चार सदस्यों ने कथित तौर पर धारदार हथियारों से हत्या कर दी थी। गुजरात के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) को पिछले महीने सीमा पार मादक पदार्थ की तस्करी के एक मामले के संबंध में बिश्नोई की हिरासत मिली थी। एटीएस गैंगस्टर से पिछले साल सितंबर में अरब सागर तट पर पाकिस्तान की एक मछली पकड़ने वाली नौका से 200 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की 40 किलोग्राम हेरोइन जब्त किए जाने के मामले में उसकी संभावित संलिप्तता के बारे में पूछताछ करना चाहती थी। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने सोमवार को यहां ब्रिटानिया चौक के समीप एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद बिश्नोई गिरोह के एक कथित सदस्य को भी गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान योगेश उर्फ हिमांशु के रूप में की गयी है और वह दिल्ली में हत्या के प्रयास के एक मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद तीन साल से फरार था।

अस्पताल में महिला से बदसलूकी, कर्मी दबोचा

नई दिल्ली। पूर्वोत्तर दिल्ली के ताहिरपुर स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक कर्मचारी ने एक महिला से कथित तौर पर छेड़छाड़ की। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना की जानकारी बुधवार दोपहर करीब 12 बजे मिली। पुलिस उपायुक्त (शाहदरा) रोहित मीणा ने बताया कि पीड़िता के बयान के अनुसार कर्मचारी ने बुधवार तड़के उस समय उन्हें अनुचित तरीके से छुआ जब वह अस्पताल की पांचवीं मंजिल पर सो रही थीं। अस्पताल में उनके पति भर्ती हैं। पुलिस ने बताया कि जीटीबी एन्क्लेव थाने में मामला दर्ज कर आरोपी, दयालपुर निवासी कुणाल वर्मा (25) को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच जारी है।

सिध मैनेजमेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड
CIN: L65999DL1985PLC019846
पंजीकृत कार्यालय : ई-253, सरस्वती कुंज अपार्टमेंट्स, 25, आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज नई दिल्ली-110092
E-Mail: info@sidhmanagement.in; Website: www.sidhmanagement.in
31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु अंकेक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का सार
[सेबी (एलओडीआर) नियमनों, 2015 के नियमन 47(1)(बी) देखें] (रु. लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	
		अंकेक्षित	अअंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
		31st मार्च 2023	31st दिसम्बर 2022	31st मार्च 2022	31st मार्च 2023	31st मार्च 2022
1	प्रचालनों से कुल आय	(7.518)	27.552	(31.314)	32.983	30.009
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/अथवा असामान्य मदों से पूर्व)	(13.231)	24.528	(33.724)	18.137	17.744
3	कर से पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	(13.231)	24.528	(33.724)	18.137	5.760
4	कर के बाद अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	(13.231)	25.031	(33.724)	18.370	4.570
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु निहित लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	(13.231)	25.031	(33.724)	18.370	4.570
6	इक्विटी शेयर कैपिटल	211.750	211.750	211.750	211.750	211.750
7	रिजर्व्स (पूर्ववर्ती वर्ष की अंकेक्षित बैलेंस शीट में दर्शाये अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	-	-	-	319.600	301.230
8	अर्जन प्रति शेयर (रु. 10 प्रत्येक के) (वार्षिकृत नहीं) बेसिक एवं डायल्युटेड	(0.625)	1.182	(1.593)	0.868	0.216

टिप्पणी : उपरोक्त सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशंस एवं घोषणा आवश्यकताएं) नियमनों, 2015 के नियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजेज के पास दायर किये गये समाप्त तैमाहिक और वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सार हैं। अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट्स यथा www.msei.in पर उपलब्ध हैं। ये कम्पनी की वेबसाइट यथा www.sidhmanagement.in पर भी उपलब्ध हैं।
बोर्ड के आदेशानुसार
कृते सिध मैनेजमेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड
हस्ता/-
दिनेश शर्मा
पूर्ण-कालिक निदेशक
डीआईएन : 07526355
स्थान : दिल्ली
दिनांक : 25 मई 2023

पुलिस ने किए लूटे गए चार लाख रुपये बरामद

समयपुर बादली में टॉय पिस्टल की मदद से लूटपाट करने वाले नाबालिग समेत छह दबोचे

हरिभूमि न्यूज ⏭नई दिल्ली

समयपुर बादली इलाके में गन प्वाइंट पर हुई चार लाख की लूट के मामले में एक नाबालिग समेत छह बदमाशों को पकड़ा गया है। इनसे लूटी गई पूरी रकम और वारदात में इस्तेमाल कार बरामद हो गई है। आरोपियों के नाम भलस्वा डेयरी निवासी इसरायल अली, गाजियाबाद निवासी निहालुद्दीन, राशिद, अफरीद खान, नाजिल है। नाबालिग की उम्र 17 वर्ष है।

आउटर नार्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी रवि कुमार ने बताया कि 20 मई की सुबह 9 बजकर 19 मिनट पर समयपुर बादली इलाके में चार लाख रुपए लूटे जाने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची जहां मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया के रहने वाले ड्राइवर ने बताया कि वह न्यू धनबाद ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद में ड्राइवर है। बीती रात 10 बजे वह हेल्पर राहुल के साथ यूपी नंबर के ट्रक में मोबी ऑयल लेकर निकला था। गोपीगंज से उन्होंने एक पार्टी से चार लाख की पेयमेंट ली और देर रात जीटी करनाल रोड पर एक सीएनजी पंप के पास ट्रक को खड़ा कर सो गये। सुबह करीब साढ़े आठ बजे उसे महसूस हुआ कि कोई ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा रहा है। तभी चार लोग दोनों तरफ से ट्रक के कैबिन में घुस आए। उनके हाथ में पिस्टल थे। दो लोगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और दो कैबिन चैक करने लगे। बाद में चार लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। शिकायत पर पुलिस ने लूट का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच में बदमाशों की अल्टो कार एक सीसीटीवी कैमरे में कैद मिली। उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर मालिक का पता लगाया गया। यह कार दिलशाद गार्डन निवासी लताशा के नाम पर रजिस्ट्रर्ड मिली। इस महिला ने बताया कि उसके पति नाजिल ने यह कार अपने दोस्त राशिद और इसरायल को किराये पर दी थी। इसके बाद पुलिस ने कार जब्त कर नाजिल व बाकी दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। बाद में इनकी निशानदेही पर निहालुद्दीन, अफरीद खान और एक नाबालिग को भी पकड़ लिया गया। पांच आरोपियों से 80-80 हजार रुपये मिले। आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया टॉय पिस्टल की मदद से उन्होंने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बाद में उन्होंने पिस्टल कहीं फेंक दी थी।

कश्मीरी गेट में बाइक सवार बदमाशों ने मालदीव की छात्रा का फोन छीना

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में बाइक सवार दो लोगों ने मालदीव की एक नागरिक से कथित तौर पर मोबाइल फोन छीन लिया। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त (उत्तर) सागर सिंह कलसी ने बताया कि सेंट स्टीफंस कॉलेज की छात्रा हव्वा सिनमा की शिकायत के आधार पर घटना के संबंध में एक मामला दर्ज किया गया है। डीसीपी ने बताया कि शिकायतकर्ता के अनुसार वह मंगलवार रात करीब पौने 11 बजे हनुमान मंदिर कश्मीरी गेट के पास एक ऑटो-रिक्शे में थी, तभी बाइक सवार दो लोग पीछे से आए और उसका फोन छीन कर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 356 (किसी व्यक्ति पर हमला कर या आपराधिक बलपूर्वक संपत्ति की चोरी) 379 (चोरी के लिए सजा) और 34 (सामान्य मंशा से किसी कृत्य को अंजाम देना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच जारी है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, बुलन्दशहर।
कार्यालय का पता - 305 विकास भवन बुलन्दशहर।
ई-प्रोक्योरमेन्ट निविदा सूचना
पत्रांक 342 / ग्रा.अ.वि. / निविदा पत्रावली / पत्रावली - संख्या / लेखा निविदा / 2023-24 / दिनांक- 16.05.2023
महामहिम श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड बुलन्दशहर के द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग उत्तर प्रदेश मे ए. बी. सी. एवं डी. श्रेणी मे कार्य की लागत के सीमा के अनुरूप पंजीकृत निविदा दाताओं से ई-टैण्डरिंग के माध्यम से प्रतिशत दर के आधार पर नीचे दर्शाये गये कार्यो हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाता किसी एक कार्य अथवा सभी कार्यो के लिये निविदा दे सकता है।
1. कार्य से संबधित विवरण निम्नवत है-

क्र. सं.	जनपद का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	बिड सिकुरिटि (ई.एम.डी.) (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य+ जी.एस.टी. सहित (यदि आवश्यक हो) (रू. में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि वर्षा ऋतु सहित
1	2	3	4	5	6	7
1	बु.शहर	प्रा.वि. उस्तरा (गुलावठी) में विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण कार्य ।	15.14	0.31	944.00	06 Months
2	बु.शहर	प्रा.वि. एत्मादसराय (गुलावठी) में विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण कार्य ।	15.14	0.31	944.00	06 Months
3	बु.शहर	ग्राम मालागढ में विकास खण्ड अगौता जगदीश सैनी के घर से गजराज ठाकुर के घर तक सी.सी. रोड व नाली निर्माण कार्य ।	38.38	0.77	944.00	03 Months
4	बु.शहर	ग्राम सांवली में सहरोज के मकान से संजय के मकान तक सी.सी. रोड कार्य।	15.68	0.32	944.00	03 Months

1- बैब साइट पर बिड डाक्यूमेन्ट की उपलब्धता की तिथि - 03.06.2023
2- ई निविदा के माध्यम से निविदा प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि / समयः- 12.06.2023 को दोपहर 12:00 बजे तक ।
3- ई-निविदा के माध्यम से निविदा खोलने की तिथि एवं समयः - 12.06.2023 को अपरान्ह 03:30 बजे । 4- निविदा आमंत्रणकर्ता को आईटीबी के क्लॉज- 10 के अनुसार परिशिष्ट / शुद्धि पत्र जारी करने का अधिकार है जो किसी भी समाचार पत्र के में प्रकाशित नही किया जायेगा । सभी संभावित निविदादाताओ को सलाह दी जाती है कि वह नियमित रूप से ई-निविदा पोर्टल पर निगरानी रखें।
अधिक जानकारी के लिए कृप्या बैब साइट http://etender.up.nic.in पर लॉग इन करें तथा बिड़ डाकूमेन्ट को डाउनलोड करें।
(इं.आर.के.जैन) अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग बुलन्दशहर